सरकार की योजनाएं सौ फीसदी क्रियान्विति करें : यादव

■ अलवर में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आयोजित हुई।

कोटपूतली। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव की विशिष्ठ उपस्थिति एवं जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में जिला कलेक्टर सभागार में मंगलवार को जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान विधायक कोटपुतली हंसराज पटेल, विधायक बहरोड़ डॉ. जसवंत यादव, विधायक विराटनगर कुलदीप धनखड़, विधायक बानसूर देवीसिंह शेखावत, विधायक मुंडावर ललित यादव, जिला प्रमुख अलवर बलबीर छिल्लर, आईजी जयपुर आर. सुहासा, जिला कलक्टर प्रियंका गोस्वामी एवं जिला पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र विश्नोई, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओमप्रकाश सहारण सहित समस्त विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री यादव ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर योजना, स्वच्छ भारत मिशन, टीबी मुक्त भारत अभियान सहित अन्य योजनाओं की धरातल पर शत-प्रतिशत क्रियान्विति सुनिश्चित करते हुए पात्रों को लाभान्वित करें। उन्होंने एनएचएआई के संबंध में समस्याओं और शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु अलग से बैठक आयोजित कर सिक्स लाइन के ओरिजिनल प्लान अनुसार मीडियन गैप व्यवस्थित कर सुचारू करने सहित अन्य सुरक्षात्मक उपायों एवं सुगम यातायात के कार्य को प्राथमिकता से लेने को कहा। साथ ही स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता के कार्य को प्राथमिकता से लेते हुए शहर में सीवरेज प्लान को बेहतर करने एवं पूरे शहर को कवर कर एसटीपी के कार्य में गति लाने के निर्देश नगर परिषद को दिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए अधिकारी पूर्ण सजगता व गंभीरता के साथ कार्य करते हुए विकास कार्यों एवं योजनाओं की गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध क्रियान्विति सुनिश्चित करें। यादव ने पीएचईडी विभाग की समीक्षा कर कहा कि आमजन को पेयजल संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पडे इसके लिए जलदाय विभाग के अधिकारी स्वीकृत कार्यों में गति लाते हुए प्राथमिकता से धरातल पर उतारे। उन्होंने पीएचईडी अधीक्षण अभियन्ता से जेजेएम के स्वीकृत कार्यों, प्रक्रियाधीन कार्यों, कंटिंजेंसी प्लान, इमरजेंट प्लान, जनसंख्या अनुरूप पेयजल स्त्रोतों, ट्यूबवेल, सरकार को भेजे गए प्रस्ताव, वर्तमान जिले की पेयजल आपूर्ति की स्थिति की जानकारी लेते हुए निर्देश दिये कि विभिन्न मदों में स्वीकृत पेयजल कार्यों को निर्धारित समयावधि तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जल्द ही पुनः पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। यादव ने केंद्र सरकार की 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' एवं पीएम कुसुम योजना की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप अधिक से अधिक नागरिकों को रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए जागरूक कर पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें। आमजन को योजना के बारे में अधिकाधिक जागरूक करें एवं बैंकों से समन्वय कर लोगों को लाभान्वित करने की दिशा में काम करें। उन्होंने अधीक्षण अभियंता विद्युत विभाग को फील्ड में जाकर जनप्रतिनिधियों से समन्वय करते हुए कार्यों में गति लाने, घरेलू एवं कृषि कनेक्शन कार्यों में प्रगति के निर्देश दिए। वहीं सांसद राव राजेन्द्र सिंह ने कहा कि दिशा की बैठक का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि सरकार की मंशानुरूप योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र तक पहुंचे बैठक में अलवर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव सालुंखे, एसडीएम कोटपुतली रामवतार मीणा, एसीईओ सुशीला यादव सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

अग्र परिवार की बैठक

भुसावर भरतपुर (निस)। भुसावरी अग्र परिवार की मंगलवार को जवाहर नगर पर एक निजी आवास पर बैठक आयोजित हुई। बैठक में संस्था द्वारा गत दिनों में आयोजित अन्नकूट महोत्सव के अवसर पर विवाह योग्य युवक युवतियों की सूचा पर मंथन किया गया।

छात्र-छात्राओं को स्वेटर बांटे

चौमू / कालाडेरा (निंस) चौमू उपखंड के ग्राम नांगल कंला में स्थित महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल में मंगलवार को भामाशाह के द्वारा विद्यालय के छात्र-छात्राओं को स्वेटर वितरित किए गए। स्वेटर वितरण कार्यक्रम के तहत स्थानीय विद्यालय में भामाशाह गोगराज देवन्दा (पं. समिति सदस्य) एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य कुलदीप सिंह यादव व समस्त स्टॉफ के द्वारा क्षेत्र के चार विद्यालयों के 250 विद्यार्थियों को स्वेटर वितरण किए गये । जिसमें गोगराज देवन्दा ने 35 हजार रुपये तथा विद्यालय स्टॉफ ने 20, हजार 600 रुपये की सहयोग राशि सप्रेम भेंट की। इस कार्यक्रम में सदस्य तथा ग्रामीणजन भूरा राम, रामलाल, गिरधारी लाल, मदन लाल शर्मा, मोहन लाल बुनकर, काना राम बुनकर, शंकर लाल सैन, रामावतार देवन्दा, बनवारीलाल वर्मा, गौरु राम, रामकुमार जाखड़, मूलचन्द जाखड़, मोहन लाल जी बुनकर कानाराम जी बुनकर, नेमीचन्द वर्मा, बन्नाराम देवन्दा सहीत अनेक गणमान्य लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे तथा स्वेटर वितरण कार्यक्रम की ग्रामीणों ने प्रशंसा की ।

'लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान एक सशक्त माध्यम'

टोंक। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान के निर्देशानुसार राजकीय महाविद्यालय टोंक में विद्यार्थियों के मतदाता सूची में पंजीकरण हेतु दो दिवसीय मतदाता जागरूकता क्लस्टर कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्राचार्य लोकेश कुमार शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान एक सशक्त माध्यम है, नव मतदाताओं एवं वंचित मतदाताओं के नाम जोड़ने के उद्देश्य से यह शिविर आयोजित किया गया है, ताकि "कोई भी पात्र मतदाता न छूटे" की संकल्पना को साकार किया जा सके। इस मौके पर बूथ लेवल अधिकारी फहीम मुगनी एवं डॉ. नदीम ने एसआईआर 2026 के अंतर्गत जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र युवाओं को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से पंजीकरण कराने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने फॉर्म-6, विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया की जानकारी दी तथा वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से घर बैठे मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया। इस अवसर पर स्वीप सदस्य प्रो. रजनी तसीवाल, डॉ. नीतू चौधरी, डॉ. मोहम्मद बाकिर हुसैन, अरुण कुमार मीणा सहित महाविद्यालय के अनेक विद्यार्थी उपस्थित रहे।

रथ यात्रा का प्रागपुरा, कुनेड में भव्य आगमन

पावटा। नगरपालिका क्षेत्र के प्रागपुरा, कुनेड, पावटा, खेलना कमें मंगलवार को विधायक के नेतृत्व में विकास रथ यात्रा का भव्य और ऐतिहासिक स्वागत किया गया। नगर में प्रवेश करते ही विकास रथ यात्रा का जगह-जगह पुष्पवर्षा, ढोल-नगाड़ों और नारों के साथ नागरिकों ने आत्मीय स्वागत किया। पूरा नगर विकास, विश्वास और जनकल्याण के रंग में रंगा नजर आया। विकास रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाना और आमजन को उनके अधिकारों व लाभों से अवगत कराना रहा। यात्रा के दौरान विभिन्न वार्डों और प्रमुख चौराहों पर रथ को रोका गया, जहां अधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा एवं जांच योजना सहित अनेक योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए विधायक कुलदीप धनकड ने कहा कि विकास रथ केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि सरकार की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। हमारी सरकार का संकल्प है कि योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे।

'कार्यालय में आना वाला व्यक्ति निराश नहीं लौटे'

■ सुशासन सप्ताह के तहत सेवानिवृत आईएएस गिरिराजसिंह कुशवाह की अध्यक्षता में कार्यशाला का

भरतपुर । सुशासन सप्ताह के तहत सेवानिवृत आईएएस गिरिराजसिंह कुशवाह की अध्यक्षता में मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार सुशासन कार्यशाला का आयोजन किया। जिसमें जिला कलक्टर कमर चौधरी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

कुशवाह ने कहा कि सुशासन का उद्देश्य नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना और उनकी समस्याओं का समाधान करना है। उन्होंने कहा कि अधिकारी आमजन के प्रति सहजता एवं आदर व्यवहार रखते हुए सुशासन के मूल्यों को अपनाएं और अपने काम में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि गुड गर्वनेंस तभी सार्थक होगा जब कार्यालय में आना वाला कोई व्यक्ति निराश होकर नहीं लौटे। आमजनता को योजनाओं का फायदा मिलने के साथ विकास कार्यों के क्रियान्यवयन में पारदर्शिता एवं समयबद्धता की पालना की जाये। उन्होंने सुशासन की अवधारणा बताते हुए राजकार्य के उत्तदायित्वों को सरलता के साथ निर्वहन करने, जनहित के कार्यों एवं जिले के आधारभूत विकास को गति देने वाले कार्यों में नागरिकों की भागीदारी बढाने का सुझाव दिया। जिला कलक्टर कमर चौधरी ने कहा कि सरकारी प्रक्रिया का सरलीकरण कर आमजन को सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ त्वरित मिले। विभागीय सेवाओं में पारदर्शिता की पालना की जाये। उन्होंने कहा कि नागरिकों के साथ संवाद और उनकी समस्याओं का समाधान कर विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रचार और प्रसार किया जावे। उन्होंने सभी विभागों को नवाचार अपनाकर जिले के विकास को गति देने वाले कार्यक्रमों को अपनाने पर बल दिया। नगर निगम आयुक्त श्रवण बिश्नोई ने स्मार्ट सेवा केंद्र के माध्यम से सभी नागरिक सुविधाओं को पारदर्शी एवं समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने के लिए किये जा रहे नवाचार का प्रजेंटेशन दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में नगर निगम की सभी सेवाओं, योजनाओं को डिजिटल मोड पर आमजन को पारदर्शिता से उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/1007 चूंकि प्रार्थी श्री DURGESH DANGI B-37 SURYA VIHAR-B, INDRA GANDI NAGAR, JAGATPURA, JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास जे.पी. फाउण्डेशन B-37 SURYA VIHAR-B, INDRA GANDI NAGAR, JAGATPURA, JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा पूदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 22.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 27.02.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 26873/2025
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी श्रीमती रेणु भट्ट पत्नि श्री लोकेश कुमार भट्ट पता ए-102, मन्ना का रोड, शास्त्री नगर, अलवर हाल पता 803 दी आएसिस गेटोर रोड, जगतपुरा जयपुर (राज.)
मृतक पल्लव भट्ट की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 03.02.2026
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम पल्लव भट्ट पुत्र श्री लोकेश कुमार भट्ट पता 803, दी आएसिस गैटोर रोड, जगतपुरा जयपुर व ए-102, शास्त्री नगर, अलवर (राज.) का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 03 माह 02 सन् 2026 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 20 माह 12 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
प्रार्थीया ने मृतक पल्लव भट्ट के नाम प्रा.पत्र में वर्णित पी.पी.एफ. की राशि बाबत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र चाहा है।
मोहर अदालत
आज्ञा न्यायालय से
वरिष्ठ मुंसरिम
जिला एवं सैंशन न्यायालय
जयपुर महानगर-प्रथम

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
(व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4)
माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम-01 जपुर महानगर जयपुर (द्वितीय)
श्रीमती लक्ष्मी देवी बनाम गोविन्द सैनी व अन्य
प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा
प्रार्थना-पत्र संख्या-61 सन् 2025
बनाम-
1. गोविन्द सैनी पुत्र स्व. श्री हनुमान सहाय सैनी, 2. दिक्षान्त सैनी पुत्र स्व. श्री हनुमान सहाय सैनी निवासीयान पटेल मार्ग के सामने, न्यू भारतीय पब्लिक स्कूल के पास, गोल्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, 3. श्रीमती ममता पत्नि शशीकान्त सैनी पुत्री स्व. श्री हनुमान सहाय सैनी निवासी फ्लेट नंबर 102 प्लाट नंबर 73 सुमेर नगर, प्रीतम ग्राम बलरामपुरा खेजडो का वास, जयपुर, 4. श्रीमति प्रिया पत्नि मनीष सैनी पुत्री स्व. हनुमान सहाय सैनी निवासी प्लाट नंबर 142 ब्लाक ए, खुशी एनक्लेव के पास, नारायण विहार, मानसरोवर जयपुर, 5. श्रीमती पार्वती उर्फ लाली पत्नि स्व. हनुमान सहाय सैनी निवासी पटेल मार्ग के सामने, न्यू भारतीय पब्लिक स्कूल के पास, गोल्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
उक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि अस्थाई निषेधाज्ञा आपके विरूद्ध जारी की जावें।
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 09 माह 01 सन् 2026 को प्रात 10.00 बजे पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश को सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।
यह आज दिनांक 17 माह 12 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय कीमुद्रा लगाकर दी गई।
मोहर अदालत
रीडर ग्रेड-प्रथम
अपर जिला एवं सेंशन न्यायाधीश क्रम-01 जयपुर महानगर द्वितीय

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम-01 जपुर महानगर जयपुर (द्वितीय)
श्रीमती लक्ष्मी देवी बनाम गोविन्द सैनी व अन्य
दावा बाबत निरस्त किये जाने वसीयत दिनांकित 22.08.2022 व विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
वाद संख्या - 82सन् 2025
बनाम-
1. गोविन्द सैनी पुत्र स्व. श्री हनुमान सहाय सैनी, 2. दिक्षान्त सैनी पुत्र स्व. श्री हनुमान सहाय सैनी निवासीयान पटेल मार्ग के सामने, न्यू भारतीय पब्लिक स्कूल के पास, गोल्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, 3. श्रीमती ममता पत्नि शशीकान्त सैनी पुत्री स्व. श्री हनुमान सहाय सैनी निवासी फ्लेट नंबर 102 प्लाट नंबर 73 सुमेर नगर, प्रीतम ग्राम बलरामपुरा खेजडो का वास, जयपुर, 4. श्रीमति प्रिया पत्नि मनीष सैनी पुत्री स्व. हनुमान सहाय सैनी निवासी प्लाट नंबर 142 ब्लाक ए, खुशी एनक्लेव के पास, नारायण विहार, मानसरोवर जयपुर, 5. श्रीमती पार्वती उर्फ लाली पत्नि स्व. हनुमान सहाय सैनी निवासी पटेल मार्ग के सामने, न्यू भारतीय पब्लिक स्कूल के पास, गोल्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
वादी ने आपके विरूद्ध वाद बाबत निरस्त किये जाने वसीयत दिनांकित 22.08.2022 व विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के लिये वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में तारीख 09.01.2026 को दिन में प्रात 10 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह आज दिनांक 17 माह 12 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
मोहर
अपर जिला एवं सेंशन न्यायाधीश क्रम-01 जयपुर महानगर द्वितीय

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

आम सूचना सर्वसाधारण सूचित रहे कि मेरी अभिभाष्या श्रीमति शीला सक्सैना पत्नी स्वर्गीय श्री राजेन्द्र शरण सक्सैना उम्र करीब 70 साल निवासी प्लाट नम्बर 7, हरिजेठी की बगीची इन्द्रपुरी कॉलोनी, ब्रह्मपुरी जयपुर का एकमात्र पुत्र राहुल सक्सैना पुत्र स्वर्गीय श्री राजेन्द्र शरण सक्सैना व पुत्रवधु श्रीमति गौरी त्यागी पत्नी श्री राहुल सक्सैन हाल निवासी 35, गोविन्द नगर पूर्व, आमेर रोड, जयपुर करीब 12 साल से मय परिवार के अलग रह रहे है, जिन्होने मेरी अभिभाष्या की कोई सेवा बन्दगी नही की व घरलू हिंसा कर अत्यन्त कष्ट दिये है, जिनसे अब व भविष्य में मेरी अभिभाष्य का कोई वास्ता व लेना देना नहीं है, जिनको मेरी अभिभाष्या अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल करती है तथा इनके द्वारा किये कृत्य, संव्यवहार या लेन देन के लिए मेरी अभिभाष्या व उनके परिवारजन उत्तरदायी नही होगे। सूचित रहे।
दिनांक-23.12.2025 (गणेश विजयवर्गीय) एडवोकेट मो. 9314962747

कार्यालय उपायुक्त हवामहल-आमेर जोन नगर निगम हैरिटेज जयपुर।
(चौमान स्टेडियम के पास, गणगौरी बाजार, जयपुर)
Email ID: dchmw.jmc@gmail.com Ph. No. 0141-2329953
क्रमांकः-F51() Dept/comm./H.M.A.Z/2025-26/1476 दिनांकः- 7/11/25
अनापत्ति आमंत्रण सूचना
भूखण्ड संख्या बी-90, राणा कॉलोनी, नाहरी का नाका जयपुर का पट्टा नगर निगम जयपुर द्वारा श्री नाथु सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह के नाम से जारी किया गया था। श्री नाथु सिंह की मृत्यु पश्चात उनके वारिसानों द्वारा जरिये हक त्याग पत्र के उक्त भूखण्ड का हक त्याग श्री सत्यनारायण सिंह पुत्र श्री नाथु सिंह को किया गया। श्री सत्यनारायण सिंह पुत्र श्री नाथु सिंह द्वारा भूखण्ड संख्या बी-90, राणा कॉलोनी, नाहरी का नाका, जयपुर का नाम हस्तान्तरण चाहा गया है। किसी संस्था, फर्म, कम्पनी, व किसी भी व्यक्ति को उक्त नाम हस्तान्तरण जारी होने के संबंध में आपत्ति हो तो अद्योहस्ताक्षकर्ता के कार्यालय में 07 दिवस में आपत्ति पेश करे अन्यथा 07 दिवस पश्चात उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण जारी करने की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।
उपायुक्त हवामहल आमेर जोन नगर निगम हैरिटेज जयपुर

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अभिभाष्या समिति मीनावाला गृह निर्माण सहकारी समिति, रजि. नं. 2591/एल जिला जयपुर राजस्थान जरिये संयोजक श्री बाबूलाल यादव ने एक आवासीय योजना श्याम सरोवर, ग्राम-सिवार बिन्दायका में विकसित की थी जिसमें कुछ आंशिक रूप से नक्शे में संशोधन किये गये है तथा उक्त आवासीय योजना को जयपुर विकास प्राधिकरण से अनुमोदन हेतू जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत किया जा चुका है तथा प्रभावित भूखण्डधारियों को साईट प्लान में संशोधन हेतु जरिये रजिस्टर्ड नोटिस सूचित किया जा चुका है, इसके बावजूद भी जिन प्लाट धारियों ने साईट प्लान में संशोधन नहीं करवाया है उनके संबंध में उक्त आम सूचना से 3 दिवस पश्चात समिति की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
दिनांक-23.12.2025 (विनोद यादव) एडवोकेट मो. 9829570668

नाम परिवर्तन
मैंने अपना नाम जागृत श्योराण से बदलकर जागृत सिंह श्योराण रख लिया है। भविष्य में मुझे जागृत सिंह श्योराण पुत्र श्री सुनील श्योराण के नाम से जाना जावे। निवासी 248, 249 रजनी विहार अजमेर रोड जयपुर राजस्थान-302021
I have changed my name Kaveer to Kaveer Chawla S/o Vaibhav Chawla for all purpose. Resi. 131 A Ramgali No.4, Rajapark, Jaipur.

खोया पाया
मेरे मकान संख्या 10/170 स्वर्ण पथ, मानसरोवर जयपुर के मूल कागज Certificate for Handing over of the House and Public Notice Dated 17.05.2017. गुम हो गये है। मिलने पर सूचित करें- नीलम बेरी 6876128103, 8079060894
मेरे प्लाट नं. 70/54 प्रताप नगर सांगानेर जपुर का राजस्थान आवासन मण्डल से जारी No-DUES CERTIFICATE (अदेय प्रमाण पत्र) जपुर में खो गया है सूचित करें- आर.एस. मीना मो. 8947997006

खोया पाया
मेरा प्लॉट नं. 21 का कुल क्षेत्रफल 100 वर्गगज, वाकै मौजा हनुमानवाटी का कालवाड, जयपुर का विक्रय पत्र दिनांक 14.09.2015 (बुक नं. 01, जिल्द नं. 566, पृष्ठ नं. 31 क्रम संख्या 201503017106680 अतिरिक्त बुक सं. 01 जिल्द सं. 2286 पृष्ठ नं. 747 से 768 के कुछ पेज गुम हो गये है। इसका दुरूपोग होने पर मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। किसी को मिले तो संपर्क करें। जयसिंह मीणा पुत्र मूलचंद मीणा निवासी हांसलसर, तह. उदयपुरवाटी, जिला झुंझुंनू राजस्थान मो. 9680959065

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4
न्यायालय जिला कलक्टर करौली स्थान करौली प्रणाली विरूद्ध विशाल
वाद/प्रार्थना पत्र विग. 14 (4)
प्रार्थना-पत्र संख्या 22/2025 सन्
नाम 1. विशाल पुत्र बनवारीलाल 2. सावित्री पुत्री लक्खी जाति जाटव पता देहमोली, तहसील करौली जिला करौली उक्त संलग्न ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है। अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दि. 06 माह 01 सन् 2026 को 12 .00 पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा। यह आज ता. 11 माह 12 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
आज्ञा से
रीडर जिला कलक्टर करौली

कार्यालय ग्राम पंचायत टूमली का बास पं. स. चाकसू
क्रमांक- एफ()/ग्रापटू/ई-निविदा/2025-26/254 दिनांक-12.12.2025
ई-निविदा सूचना संख्या 01/2025-26
NIB NO. PSD2526A0036, UBN NO. PFD2526WSOB00050 TO 51
पंचायत समिति चाकसू के अधिनस्थ ग्राम पंचायत टूमली का बास में विभिन्न योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यो को सम्पादित कराने हेतु पंचायतराज अधिनियम 1996 के नियम 181 के अन्तर्गत तथा राजस्थान लोक उपापन पार्दर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन पार्दर्शिता नियम 2013 के अनुसार राज्य सरकार के अधिकृत संगठनो में पंजीकृत सक्षम श्रेणी के संवेदकों से ई-टेंडरिंग प्रक्रिया द्वारा विभिन्न कार्यो हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित समस्त जानकारी पंचायत समिति/संबंधित ग्राम पंचायत में कार्यालय समय में एवं राजस्थान उपापन पोर्टल https://eproc.rajasthan.gov.in देखी जा सकती है। निविदाएं ऑनलाईन प्राप्त करने एवं अपलोकड करने की दिनांक 24.12.2025 से 07.01.2026 को सायं 5.00 बजे तक रहेगी।
कन्हैयालाल शर्मा, प्रशासक, ग्राम पंचायत टुमली का बास, पं.स. चाकसू, जयपुर
सरदार सिंह राजपूत, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत टुमली का बास, पं.स. चाकसू, जयपुर

कार्यालय ग्राम पंचायत आकोडिया पं.स. कोटखावदा (जयपुर)
क्रमांक-ग्रा.पं./2025-26/ई-निविदा/86
ई-निविदा सूचना 02/2025-26
पंचायत समिति कोटखावदा के ग्राम पंचायत आकोडिया में जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 30.00 लाख का 2 कार्य स्वीकृत है। कार्यो को सम्पादित कराने हेतु पंचायतराज अधिनियम 1996 के नियम 181(2) के अन्तर्गत तथा राजस्थान लोक उपापन पार्दर्शिता नियम 2013 के अनुसार राज्य सरकार के अधिकृत संगठनों में पंजीकृत सक्षम श्रेणी के संवेदकों से ई-टेंडरिंग प्रक्रिया द्वारा निविदायें निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित समस्त जानकारी कार्यालय समय में एवं राजस्थान उपापन पोर्टल https://sppp.rajasthan.gov.in एवं https://eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। निविदाएं ऑनलाईन प्राप्त करने एवं अपलोड करन की दिनांक 23.12.2025 से 02.01.2026 को प्रात 11.00 बजे तक रहेगी।
NIB- KHW2526A0038, UBN- KHW2526WSOB00067, KHW2526WSOB00068
सरपंच, ग्राम पंचायत आकोडिया, पं.स. कोटखावदा, जयपुर
ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत आकोडिया, पं.स. कोटखावदा, जयपुर

कार्यालय नगर निगम जयपुर
सेक्टर-9 गोखले मार्ग, शिप्रा पथ रोड मानसरोवर जयपुर
क्रमांक :- जसअ/2025/376 दिनांकः 22.12.2025
ई-निविदा सूचना सं. अधि0 अभि0 (मानसरोवर जोन) -136 से 137/2025-26
केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी विभागों में पंजीकृत संवेदको एवं नगर निगम जयपुर के पंजीकृत निविदादाताओं से बिड अधि0 अभि0 (मानसरोवर जोन) से सम्बन्धित विकास कार्य की निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्य की अनुमानित लागत, टेण्डर बेचे जाने तथा प्राप्त करने की तारीख, टेण्डर शर्त आदि सम्पूर्ण विवरण नगर निगम जयपुर की वेबसाईट www.jaipurmc.org.com व http;//sppp.raj.nic.in & eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। जिसका sppp पोर्टल यू.बी.ई.एन. नं. JMC2526WSOB02328 To JMC2526WSOB002329 है। उक्त निविदा को http://sppp.raj.nic.in पर दिनांक 20.12.2025 को अपलोड करवा दिया जायेगा।
अधिशाषी अभियन्ता, मानसरोवर जोन, नगर निगम जयपुर
राज.संवाद/सी/25/16356

RAJASTHAN UNANI MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL
Infront of Rajesh Coach, Jagdamba Colony Paldi Meena, Agra Road, Jaipur (Raj.) Pin-302031
URGENTLY REQUIRED
1. Higher Faculty - Amraze jild we Tazeeniyat, Munaf-e-ul-Aza, Moalijat, Ilmul Jarahat, Tahafuzi wa Samaji Tib, Tashreehul Badan,
2. Lower Faculty - Ilmul Atfal, Kulliyat, Tashreeh-ul-Badan, Mahiyatul Amraz, Niswan wa Qabalat, Moalijat, E.N.T. & Eye, Ilaj Bit Tadbeer
Salary-NEGOTIABLE
Qualification for all posts as per NCISM Norms
Apply within 07 days through e